FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0320 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/12/2025 16:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): मंगलवार Date From (दिनांक से): 29/07/2025 Date To (दिनांक तक): 29/07/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:31 बजे Time To (समय तक): 21:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/12/2025 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 03/12/2025 16:33:53 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 430 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): KARYALAY SAMAJ KALYAN VIBHAG, BADGAON UDAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name(नाम): TARUN BUNKAR
(b) Father's Name (पिता का नाम): RAM LAL BUNKAR
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2002 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No(यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	01/161, RHB COLONY, MEERA NAGAR BHUWANA, GIRWA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	01/161, RHB COLONY, MEERA NAGAR BHUWANA, GIRWA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BAJRANG LAL MEENA		पिता:LAKSHMAN LAL MEENA	1. MALYAWAS POST SURSINGHPURA,PHULERA,PHULERA(JAIPUR RURAL),JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		18,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 18,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात् इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 29.07.2025 को समय करीब 09.00 एएम पर परिवादी श्री तरूण बुनकर निवासी उदयपुर द्वारा अपने किसी जानकार परिचित के माध्यम से श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 से सम्पर्क किया गया था। जिस पर श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 ने श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तोड़गढ़ को बताया कि परिवादी श्री तरूण बुनकर द्वारा मुझे बताया गया था कि मैनें तन्वी कुंवर से इन्टरकास्ट मैरिज की है। मैं अनुसूचित जाति से हुं तथा मेरी पत्नी तन्वी कुंवर स्वर्ण जाति है, इसलिए समाज कल्याण विभाग से इन्टरकास्ट मैरिज करने पर दस लाख रूपये का अनुदान मिलता है जिसके लिए मैंने ऑनलाईन आवेदन किया था। जिस पर समाज कल्याण विभाग के श्री बजरंग मीणा, सामाजिक न्याय अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर द्वारा मेरे से सम्पर्क किया तथा मेरे निवास स्थान पर आकर अनुदान राशि दिलाने की ऐवज में खर्चे पानी के 20,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग रहा है। मैं अपने वैध कार्य की ऐवज में उसे रिश्वत नही देना चाहता हुं। बल्कि उसको रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं तथा कहा कि आप उदयपुर आ जाओ। मैं नियमानुसार आपके विभाग की कार्यवाही करवा दुंगा। इस पर मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से श्री शेर सिंह कानि0 ड्रा0 को सरकारी डीवीआर मय् खाली मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि उदयपुर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त करे एवं उसको डीवीआर चालु व बन्द करने की समझाईश कर नियमानुसार उसके साथ जाकर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। श्री शेर सिंह को मुनासिब हिदायत कर मय् सरकारी डीवीआर मय् खाली मैमोरी कार्ड के उदयपुर के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 07.00 पीएम पर श्री शेर सिंह कानि0 ड्रा0ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आया तथा श्री शेर सिंह ने श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री तरूण बुनकर व उसकी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर का हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं सरकारी डीवीआर मय् मैमोरी कार्ड के पेश कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर उदयपुर पहुंचा। जहॉं साइफन चौराये पर परिवादी श्री तरूण बुनकर उपस्थित मिला तथा एक प्रार्थना पत्र मुझे देकर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मैंने मेरी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर से लिखाया है जिस पर मेरे द्वारा एवं मेरी पत्नी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। परिवादी के प्रार्थना पत्र को मैने अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी को डीवीआर चालु व बन्द करने की समझाईश कर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराने हेतु बडगांव उदयपुर स्थित समाज कल्याण विभाग के लिए रवाना किया गया तथा मैं भी उक्त कार्यालय के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़ा रहा। कुछ देर बाद परिवादी मेरे पास आया तथा डीवीआर बन्द कर मुझे सुपुर्द करते हुए बताया कि मैंने समाज कल्याण विभाग में जाकर श्री बजरंग मीणा से मुलाकात कर बातचीत की है। श्री बजरंग मीणा ने मुझे व मेरी पत्नी को इन्टरकास्ट मैरिज के लिए मिलने वाली सहायता राशि दिलाने की ऐवज में 18,000 रूपये रिश्वत की मांग की है। परन्तु श्री बजरंग मीणा द्वारा अपने मुंह से रिश्वत राशि के बारे में नही बोलकर पेन से अपने हाथ पर लिखकर मुझे बताया है तथा श्री बजरंग मीणा ने मेरे से 2000 रूपये नगद ले लिये हैं। श्री बजरंग मीणा से हुई उक्त वार्ता को मैंने आपके विभाग के सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड कर ली है। इस पर मैंने आपको जरिये दूरभाष हालात निवेदन किये थे तथा परिवादी श्री तरूण बुनकर से भी आपकी वार्ता करायी थी। तत्पश्चात् आपके निर्देशानुसार परिवादी को उदयपुर में ही रूखसत देकर परिवादी का प्रार्थना पत्र व सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के लेकर उदयपुर से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र पर परिवादी श्री तरूण बुनकर व उसकी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर के हस्ताक्षर अंकित है। प्रार्थना पत्र को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य इस प्रकार है कि " मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.09.2024 को तन्वी कुंवर के साथ इन्टरकास्ट मैरिज की है, जिसका विवाह प्रमाण पत्र नगर निगम, उदयपुर से जारी किया गया हैं। चूंकि प्रार्थी अनुसूचित जाति से है तथा प्रार्थी की पत्नि तन्वी कुंवर स्वर्ण जाति से है, इसलिए समाज कल्याण विभाग से इन्टरकास्ट मैरिज करने पर दस लाख रूपये का अनुदान या सहायता मिलती है जिसके लिए मैनें दिनांक 23.05.2025 को ऑनलाईन फॉर्म भरा था, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी बजरंग मीणा ने मुझे दिनांक 07.07.2025 को मोबाईल पर कॉल किया तथा कहा कि सभी डाक्यूमेन्ट लेकर समाज कल्याण विभाग, बड़गांव, उदयपुर के ऑफिस पर आ जाओ तो मैं व मेरी पत्नी तन्वी कुंवर अगले दिन बजरंग मीणा के पास उसके ऑफिस पर गये तो उसने हमारी शादी के डॉक्यूमेंट चैक किए तथा कहा कि मै 2-4 दिन में घर आकर कागजों का

सत्यापन करूंगा। उसके बाद दिनांक 25.07.2025 को बजंरग मीणा मेरे निवास स्थान दूधिया गणेश जी स्थित किराये के मकान पर आया था। मेरे घर पर बजंरग मीणा ने शादी के कागजों को चैक करने बाद दस्तावेजो को आगे व हमारी रिपोर्ट को आगे भेजने के लिए तथा सहायता राशि दिलाने के लिए 20,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई तथा कहा कि पैसे देने पर ही वो फाइल को आगे भेजेगा। मैं बजंरग मीणा को रिश्वत राशी नही देना चाहता हूं तथा उसे मैं रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं । मेरी बजरंग मीणा से कोई दुश्मनी नही है तथा न ही बजंरग मीणा से मैने कोई उधार राशि ली है। कार्यवाही बाबत् रिपोर्ट पेश है। यह रिपोर्ट मैने मेरे पति तरूण बुनकर के कहे अनुसार लिखी है। "डीवीआर को चालु कर वार्ता को सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन स्पष्ट रूप से नहीं होना पाया गया। संदिग्ध अधिकारी श्री बजरंग मीणा से पुनः सत्यापन कराया जायेगा तथा रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग करने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी उदयपुर जाकर परिवादी से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जायेगा। परिवादी का प्रार्थना पत्र एवं सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड को कार्यालय में सुरक्षित हालात में रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 30.07.2025 समय करीब 11.00 एएम पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री तरूण बुनकर से सम्पर्क करने एवं दिगर राजकार्य हेतु जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय् चालक श्री शेरसिंह के एवं परिवादी श्री तरूण बुनकर का प्रार्थना पत्र एवं सरकारी डीवीआर मय् रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के उदयपुर के लिए रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 01.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयपुर पहुंचे । जहाँ पर पुर्व से तलविदा परिवादी श्री तरूण बुनकर अपनी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर के साथ उपस्थित मिला । परिवादी को उसके द्वारा दिनांक 29.07.2025 को श्री शेर सिंह को दिया हुआ प्रार्थना पत्र दिखाया व पढ़कर सुनाया तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र अपनी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर द्वारा हस्तलिखित होना बताया एवं प्रार्थना पत्र पर दोनो के हस्ताक्षर अंकित होना बताया तथा प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को परिवादी तथा उसकी पत्नी ने सही होना बताया तथा परिवादी को डीवीआर चालु कर सुनाया गया तो उसने एक आवाज स्वय की व दुसरी आवाज श्री बजरंग मीणा की होना बताया। परिवादी श्री तरूण बुनकर से मजिद दरियाप्त की गई तो परिवादी व उसकी पत्नी ने बताया कि उनके द्वारा दिनांक 01.09.2024 को इन्टरकास्ट मैरिज की थी तथा समाज कल्याण से मिलने वाली अनुदान राशि 10 लाख रूपये के लिए दिनांक 23.05.2025 का ऑन लाईन आवेदन किया था। जिसके सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग के सामाजिक न्याय अधिकारी श्री बजरंग मीणा द्वारा हम से सम्पर्क कर अनुदान राशि दिलाने के लिए खर्चे पानी के रूप में 20,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है तथा दिनांक 29.07.2025 को आपके विभाग के कर्मचारी श्री शेर सिंह के उदयपुर आये थे जिनको मैंने उक्त प्रार्थना पत्र दिया था तथा उन्होने मुझे सरकारी डीवीआर को चालु व बन्द करने की समझाईश कर सरकारी डीवीआर व उसमें मैमोरी कार्ड लगाकर मुझे सुपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु भेजा था। जिस पर मैं समाज कल्याण विभाग में जाकर श्री बजरंग मीणा से बातचित की थी। जिस पर उन्होने अपने हाथ पर पेन से 18,000 रूपये लिखकर रिश्वत राशि की मांग की थी तथा 2,000 रूपये मेरे से नगद लिये थे। उक्त वार्तालाप को मैंने सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया था तथा श्री शेर सिंह द्वारा आपको उक्त हालात निवेदन किये थे तथा मेरी भी आप से बात करवायी थी। इस पर रिश्वत राशि का सत्यापन स्पष्ट रूप से नही होने से परिवादी श्री तरूण बुनकर को पुनः रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आप 4-5 दिन बाद आपके विभाग के किसी कर्मचारी को उदयपुर भेज देना, मैं किसी कार्य में व्यस्त रहुगा। मेरी पत्नी रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करा देगी। श्री बजरंग मीणा ने हमारे निवास पर रिश्वत की मांग की थी तब मेरी पत्नी भी वही मौजुद थी इस कारण वह मेरी पत्नी से भी रिश्वत की मांग कर लेगा। परिवादी व उसकी पत्नी को गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर रूखसत दी गई। इसके बाद समय करीब 05.00 पीएम पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिगर राजकार्य सम्पन्न कर तथा परिवादी व उसकी पत्नी से सम्पर्क करने के बाद परिवादी का प्रार्थना पत्र व सरकारी डीवीआर मय् रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड को हमरा ले जरिये सरकारी ट्वेरा मय् चालक श्री शेर सिंह के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ के लिए रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 07.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ पहुंचे। परिवादी का प्रार्थना पत्र व सरकारी डीवीआर मय् रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय में रखवाया गया। आईन्दा किसी कार्मिक को भेजकर रिश्वत राशि की मांग का पुनः सत्यापन करवाया जायेगा। इसके बाद दिनांक 05.08.2025 समय करीब 09.30 एएम पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 व श्री शेर सिंह चालक कानि0 ड्रा0 296 को पुनः रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु उदयपुर रवाना करते हुए श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 को सरकारी डीवीआर मय् दिनांक 29.07.2025 के रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई कि उदयपुर जाकर परिवादी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर से सम्पर्क कर उसको डीवीआर चालु व बन्द करने की समझाईश कर उसके साथ जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 व श्री शेर सिंह चालक कानि0 ड्रा0 296 को सरकारी डीवीआर मय् दिनांक 29.07.2025 के रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के उदयपुर के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 04.50 पीएम पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 एवं श्री शेर सिंह कानि0 ड्रा0 ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आये तथा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को

सरकारी डीवीआर मय् रिकार्डिंग शुदा मैमोरी कार्ड के पेश कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व श्री शेर सिंह कानि0ड्रा0 ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर उदयपुर पहुंचे। जहॉं पर परिवादी श्री तरूण बुनकर की पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर उपस्थित मिली। परिवादी की पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर को डीवीआर चालु व बन्द करने की समझाईश कर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराने हेतु बडगांव उदयपुर स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के लिए रवाना किया गया तथा हम दोनों भी उक्त कार्यालय के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़े रहे। कुछ देर बाद परिवादी की पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर हमारे पास आयी तथा डीवीआर बन्द कर मुझे सुपुर्द करते हुए बताया कि मैंने समाज कल्याण विभाग में जाकर श्री बजरंग मीणा से मुलाकात कर बातचीत की है। श्री बजरंग मीणा ने मुझे व मेरे पति को इन्टरकास्ट मैरिज के लिए मिलने वाली सहायता राशि दिलाने की ऐवज में 13,000 रूपये रिश्वत की मांग की है तथा 1600 रूपये मेरे से नगद ले लिये हैं। श्री बजरंग मीणा से हुई उक्त वार्ता को मैंने आपके विभाग के सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड कर ली है। इस पर मैंने आपको जरिये दूरभाष हालात निवेदन किये थे तथा परिवादी श्री तरूण बुनकर की पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर से भी आपकी वार्ता करायी थी । तत्पश्चात् आपके निर्देशानुसार परिवादी की पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर को उदयपुर में ही रूखसत देकर सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के लेकर उदयपुर से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पहुंचे। श्री शेर सिंह ने भी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 द्वारा बताई गई उक्त बात की ताईद की। सरकारी डीवीआर को चालु कर वार्ता को सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन स्पष्ट रूप से सत्यापन होना पाया गया। परिवादी व उसकी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सम्पर्क करने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड को श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर कार्यालय में सुरक्षित हालात में रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 22.08.2025 समय करीब 10.00 एएम पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री तरूण बुनकर द्वारा जरिये दूरभाष मुझे अवगत कराया है कि हमारे द्वारा इन्टरकास्ट मैरिज के उपरान्त मिलने वाली अनुदान राशि के सम्बन्ध में ऑन लाईन किया गया आवेदन निरस्त हो गया है क्योंकि मेरा व मेरी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर का सामूहिक जन आधार कार्ड नही बना हुआ है। अतः मेरा व मेरी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर का सामूहिक जन आधार कार्ड बनने के उपरान्त ही पुनः नये सिरे से अनुदान राशि हेतु समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना पडेगा जिसमें समय लगने की संभावना है। अतः हमारा जन आधार कार्ड बनने एवं पुनः आवेदन करने तथा संदिग्ध श्री बजरंग मीणा सामाजिक न्याय अधिकारी समाज कल्याण विभाग, बडगांव उदयपुर द्वारा हमसे सम्पर्क करने पर आपको अवगत करा देगें। आईन्दा परिवादी व उसकी पत्नी द्वारा ब्यूरो चौकी पर सम्पर्क किये जाने पर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद दिनांक 01.10.2025 समय करीब 11.00 एएम पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री तरूण बुनकर एवं उसकी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर द्वारा जरिये दूरभाष मुझे अवगत कराया है कि आरोपी श्री बजरंग मीणा सामाजिक न्याय अधिकारी समाज कल्याण विभाग, बडगांव उदयपुर ने अभी तक हमारे से ना तो सम्पर्क किया है एवं ना ही कोई रिश्वत की मांग कर रहा है। हमारे द्वारा इन्टरकास्ट मैरिज उपरान्त मिलने वाली अनुदान राशि के सम्बन्ध में ऑन लाईन दुबारा आवेदन कर दिया गया है। उक्त आवेदन का सत्यापन/अपु्रवल भी किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जा रही है। अतः हम आगे कोई कार्यवाही नही कराना चाहते है। आप लोग उदयपुर आकर आपकी कार्यवाही सम्पन्न कर लेवे। हम दोनो आपको उदयपुर में ही मिल जायेगें। इस प्रकार परिवादी श्री तरूण बुनकर एवं उसकी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव प्रतीत नही होता है। अतः उक्त सूचना की ताईद हेतु परिवादीगण के पास उदयपुर जाना आवश्यक है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से जरिये दूरभाष दो गवाहों की तलबी भी की गई है। इसके बाद समय करीब 11.15 एएम पर जरिये दूरभाष पूर्व से तलविदा दो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय में उपस्थित आये है जिनको श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे अपना परिचय पुछा तो एक ने अपना नाम श्री शेलेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री नारायण सिंह चौहान जाति राजपुत उम्र 31 वर्ष निवासी अलखनंदा कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर हाल व्याख्याता महात्मा गांधी राजकीय विधालय स्टेशन, प्रतापनगर जिला चित्तौडगढ एवं दूसरे ने अपना नाम श्री फुलचंद रेबारी पुत्र श्री लालुराम रेबारी जाति रेबारी उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ हाल कनिष्ट लेखाकार सीडीपीओ कार्यालय गंगरार जिला चित्तौडगढ होना बताया। दोनो गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति प्रदान की। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 29.07.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिखाया व पढाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.07.2025 एवं 05.08.2025 जो ब्यूरो चौकी के सरकारी डिवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में सुरक्षित है। उक्त डीवीआर को चालु कर वार्ताओं के मुख्य अंशो को दोनो स्वतन्त्र गवाह को सुनाया गया तो दोनो गवाह ने भी रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होने की पुष्टि की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार करवायी जावेगी। इसके बाद समय करीब 11.35 एएम पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री शेलेन्द्र सिंह चौहान व श्री फुलचंद रेबारी एवं स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि, श्री सुनील कुमार कानि0 व श्री जितेन्द्र कुमार कानि0, मय कार्यवाही की पत्रावली व सरकारी डीवीआर मय्

रिकॉर्डिगशुदा सत्यापन वार्ताओं के मैमोरी कार्ड के हमराह ले मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री जरिये सरकारी वाहन द्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के अग्रिम कार्यवाही हेतु उदयपुर के लिए रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 02.00 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के उदयपुर पहुंचे, जहों पर पूर्व तलविदा परिवादी श्री तरूण बुनकर एवं उसकी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर उपस्थित मिले जिनको अपनी स्वयं की स्कुटी से आगे-आगे रवाना कर अग्रिम कार्यवाही की लिखापढ़ी हेतु ब्यूरो चौकी इन्टे. उदयपुर पर पहुंचे तथा परिवादीगण व दोनो स्वतन्त्र गवाह का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाह ने भी परिवादी श्री तरूण बुनकर एवं उसकी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर से आवश्यक पुछताछ करने के बाद अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। परिवादीगण से मजिद दरियास की गई तो परिवादी एवं उसकी पत्नी ने बताया कि आरोपी श्री बजरंग मीणा सामाजिक न्याय अधिकारी समाज कल्याण विभाग, बडगांव उदयपुर ने अभी तक हमारे से ना तो सम्पर्क किया है एवं ना ही कोई रिश्वत की मांग कर रहा है। हमारे द्वारा इन्टरकास्ट मैरिज उपरान्त मिलने वाली अनुदान राशि के सम्बन्ध में ऑन लाईन दुबारा आवेदन कर दिया गया है। उक्त आवेदन का सत्यापन/अपु्रवल भी किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जा रही है। अतः हम आगे कोई कार्यवाही नही कराना चाहते है तथा परिवादी श्री तरूण बुनकर की पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर का हस्तलिखित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दोनो स्वतन्त्र गवाह के समक्ष प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र पर परिवादी श्री तरूण बुनकर व उसकी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर के हस्ताक्षर किये हुए है। प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोनो परिवादीगण ने सही होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र पर करवाये गये। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य इस प्रकार है कि " हमारे द्वारा पुर्व में समाज कल्याण विभाग उदयपुर में इन्टरकास्ट मैरिज के सम्बन्ध में मिलने वाली अनुदान राशि का ऑन लाईन किया गया आवेदन निरस्त हो गया है तथा हमारे द्वारा पुनः नया आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन को अपु्रव्ड अन्य किसी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य समाज कल्याण विभाग के संदिग्ध अधिकारी बजरंग मीणा के पास नही है तथा उसको कोई शंका हो जाने के कारण अब रिश्वत की मांग नही कर रहा है, ना ही उसके द्वारा हमसे कोई सम्पर्क किया गया है। अतः हम श्री बजरंग मीणा सामाजिक न्याय अधिकारी समाज कल्याण विभाग बडगांव उदयपुर के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नही कराना चाहते है। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।" इस प्रकार परिवादी श्री तरूण बुनकर एवं उसकी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाप्त से पाया गया कि श्री बजरंग मीणा सामाजिक न्याय अधिकारी समाज कल्याण विभाग बडगांव उदयपुर द्वारा ना तो अब रिश्वत की मांग की जा रही है एवं ना ही परिवादीगण का कार्य उसके पास पेण्डिग है इस कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। अतः फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करने एवं फर्द डबिग पेन ड्राईव व जप्ती एवं फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड इत्यादि पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद समय करीब 03.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री तरूण बुनकर एवं उसकी पत्नी की श्रीमती तन्वी कुंवर की उपस्थिति में दिनांक 29.07.2025 को समय 01.31 पीएम तथा 02.26 पीएम पर परिवादी श्री तरूण बुनकर व आरोपी श्री बजरंग मीना सामाजिक न्याय अधिकारी, समाज कल्याण विभाग उदयपुर के मध्य कार्यालय समाज कल्याण विभाग बडगांव उदयपुर में हुई वार्ता तथा दिनांक 05.08.2025 को 12.49 पीएम पर परिवादिया श्रीमती तन्वी कुंवर व आरोपी श्री बजरंग मीना सामाजिक न्याय अधिकारी, समाज कल्याण विभाग उदयपुर के मध्य आरोपी के कार्यालय में हुई वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिवीआर को लेपटॉप से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल की गई। उक्त फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट तैयार करने के दौरान उक्त रिकार्डिंग वार्ता दिनांक 29.07.2025 समय 01.31 पीएम तथा 02.26 पीएम के सम्बन्ध में परिवादी श्री तरूण बुनकर ने अपनी स्वयं की आवाज तथा आरोपी श्री बजरंग मीणा की आवाज होने की पहचान की एवं दिनांक 05.08.2025 को 12.49 पीएम पर पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट तैयार करने के दौरान उक्त वार्ता में परिवादिया श्रीमति तन्वी कुंवर ने अपनी स्वयं की आवाज तथा आरोपी बजरंग मीणा की आवाज होने की पहचान की। दिनांक 29.07.2025 को परिवादी श्री तरूण बुनकर व आरोपी श्री बजरंग मीणा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश इस प्रकार है- परिवादी - सर व्यवस्था तो अभी थोडी बहुत हुई है, आरोपी - अरे ऐसे तो, परिवादी - अभी घुम रहे है सर तो आपके एक दो दिन में आ जायेगा अभी मेरे पास दो ही है, आरोपी - ये कितने है, परिवादी - दो है सर अब है जो ये ही है, आरोपी - डॉक्युमेंट सारे आ गये साईन करवा दिये आपने ये रख दो, कितने है, परिवादी - दो हजार, आरोपी - साईन वाईन कर दिये आपने, परिवादी - ऑन लाईन का कैसे क्या रहेगा, आरोपी - ऑन लाईन का ठीक है मै करवाता हुं ठीक है, परिवादी - वो तो रिजेक्ट हो गया, आरोपी - वो मेरे पे छोडो आप, परिवादी - हां, आरोपी- उसको अप्रुव वगेरा करवाना पडेगा अलग-अलग जगह से, परिवादी- वो रिजेक्ट हो गया तो फिर, आरोपी- वो तो आपको दुबारा से फाईल लगाना पडेगी ना, एक बार आपका जन आधार वाला काम है ना वो होना जरूरी है वो जयपुर से होगा मै बात करूंगा जयपुर, आपका काम मै करवाउंगा ये अपना कब तक हो जायेगा ये बता तो मेरे को, परिवादी- ये अभी परसों तक, आरोपी- परसों तक ना, उसी टाईम मै आपके सामने ही रिपोर्ट बनाके भेज दुंगा, परिवादी- और अभी ऑन लाईन वाले में और कुछ लगेगा, आरोपी- ऑनलाईन में कुछ नहीं मै करवाउंगा आपका काम उसमें कुछ नहीं, आप परेशान मत होवो वो जयपुर से काम होगा आपके बस की बात नहीं है, परिवादी- थोडा कुछ कम ज्यादा सर, आरोपी-

सुनो मेरी बात इसमें कुछ नहीं होता है यार समझो बात को ठीक है, ये देखो पहले ही मैने सोच साच के देख के ही बोला है फिर अपन लास्ट में देख लेंगे थोडा बहुत उपर नीचे, परिवादी- और वापस कहीं लगेंगे तो नही ना, आरोपी- कहीं नहीं लगेंगे, परिवादी- वापस से आप फिर, आरोपी- नहीं नहीं कहीं नही लगेंगे आप निश्चिंत रहो मेरी रिपोर्ट लास्ट है ठीक है ना मेरी रिपोर्ट लास्ट है ठीक है, परिवादी- कितने देने है आठ ही, आरोपी- हं, परिवादी- कितने देने है अपन को, आरोपी- बोला तो था मेने, परिवादी- फिर भी और आपके हिसाब से बता दो, आरोपी- पेन कहां है, ये ही बोला था ना, परिवादी- हं, आरोपी- ठीक है ये आ गये ठीक है ठीक है ना (परिवादी ने बताया कि इस समय आरोपी ने 18000 रूपये हाथ पर लिख कर रिश्वत की मांग की) इत्यादि। दिनांक 05.08.2025 को परिवादिया श्रीमति तन्वी कुंवर व आरोपी श्री बजरंग मीणा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश इस प्रकार है- परिवादिया- हां सर, सर वो रिपोर्ट, आरोपी- यहीं... अस्पष्ट आवाज, परिवादिया- आपके पास है, बाकी के रूपये है तो यहीं पे दे दुं आपको, आरोपी- आप इधर आ जाओ पहले, परिवादिया- इधर दे दुं, मेरे हसबेण्ड तो क्या कनफ्युज हो जाते है बात नहीं कर पाते है, आरोपी- फिर भी मेने बोला था उनको, आप, परिवादिया- हां, आरोपी- फिर भी उन्होने बोला था मुझे मेने तो बोल दिया था, परिवादिया- पर उन्होने कुछ ज्यादा ही कम बता दिया था, आरोपी- फिर वो समझ में नहीं आई उनके, परिवादिया- इतना तो मै खुद ही समझ रही हुं, आरोपी- मैने आपको ये बोला, परिवादिया- हां, आरोपी- मैने आपको फर्स्ट में बोला था ना, परिवादिया- हां, आरोपी- इसमें से ये तो आ गये, परिवादिया- ये लो सर ये सोलह सौ , आरोपी- मैने उस दिन ये ही बोला था उनको आपको भी बोला था, परिवादिया- हां, बीस बोला था ना, आरोपी- हां, तो ये तो वो कर गये थे वो, परिवादिया- दो हजार वो करके गये थे, आरोपी- फिर अठारह के सोलह करे उनको, परिवादिया- अच्छा तो उन्होने इसको सोलह हजार नहीं सोलह सो समझ लिया, आरोपी- बात हो गई वो तो, परिवादिया- पर मेरे को तो पता ही नहीं था वो ही डाईरेक्ट बोल के गये थे, उन्होने बोला के नहीं सोलह सो ही चाहीये अब, आरोपी- कोई बात नहीं आपकी रिपोर्ट वगेरा तो बना दी है, परिवादिया- सोलह हजार चाहिये ना अब, आरोपी- हां, परिवादिया- तो अब और कितने चाहिये, आरोपी- ये कितने है सोलह सौ, परिवादिया- सोलह सौ रूपये, आरोपी- तेरह, परिवादिया- तेरह ओके, आरोपी- इतने, परिवादिया- अपनी बात हो गई थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया वो वहां तो हुई थी अरे पता नहीं शायद पढने में उनके कुछ इश्यु आ गया होगा, सर वो ऐसे पुछना था की जनआधार कार्ड तो हो गया है तो अब क्या करूं ऑन लाईन तो चढानी पडेगी फिर फाईल, आरोपी- आपको क्या करना है दुबारा से जाके और उसको अपडेट करवाना पडेगा, परिवादिया- हां हां, आरोपी- तो अपडेट करवाओ और अपनी रिपोर्ट जो यहां से चली जायेगी तो आपका जो है फाईनल हो जायेगा काम, इत्यादि। इसके बाद समय करीब 04.25 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष दिनांक 29.07.2025 की दो रिकॉर्डिंग वार्ता तथा 05.08.2025 की दो रिकॉर्डिंग वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ताओ को 03 पेन ड्राईव(केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग सिल्वर) मे कॉपी किया गया आरोपी तथा अनुसंधान अधिकारी के पेन ड्राईव को खुला रखा गया तथा एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु जिसकी हैश वेल्यु निकालकर एक कपडे की थेली मे सीलचीट कर कपडे की थेली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द डबिंग पेन ड्राईव केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग सिल्वर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 04.45 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष दिनांक 29.07.2025 की दो वार्ता तथा 05.08.2025 की दो वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड सुरक्षित है उक्त मेमोरी कार्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर हैश वेल्यू निकाल कर उक्त मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड केडीएम कंपनी 8 जीबी बरंग काला श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 06.00 पीएम पर मौके की कार्यवाही पूर्ण कर परिवादी श्री तरूण बुनकर एवं उसकी पत्नी की श्रीमती तन्वी कुंवर को रूखसत कर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री शेलेन्द्र सिंह चौहान व श्री फुलचंद रेबारी एवं स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि, श्री सुनील कुमार कानि0 व श्री जितेन्द्र कुमार कानि0, मय कार्यवाही की पत्रावली व सरकारी डीवीआर एवं लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व मालखाना आर्टिकल सिल्डशुदा पेन ड्राईव व कार्यवाही के दो खुले पेन ड्राईव एवं सिल्डशुदा मैमोरी कार्ड के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिह के भ्रनिब्यूरो चौकी इन्टे. उदयपुर से ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ के लिए रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 08.30 पीएम उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व जप्तशुदा मालखाना आर्टिकल्स के ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ पहुंचे। जब्तशुदा मालखाना आर्टिकल सिल्डशुदा पेन ड्राईव व कार्यवाही के दो खुले पेन ड्राईव एवं सिल्डशुदा मैमोरी कार्ड को मालखाना ईचाज श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाह को रूखसत दी गई।उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा की गई कार्यवाही से आरोपी श्री बजरंग मीणा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बडगांव जिला उदयपुर द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री तरूण बुनकर एवं उसकी पत्नी श्रीमती तन्वी कुंवर के द्वारा इन्टरकास्ट मैरिज करने

के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि दिलाने व दस्तावेजात् का सत्यापन करने की एवज में दिनांक 29.07.2025 को 18,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना एवं दिनांक 29.07.2025 को दौराने सत्यापन परिवादी श्री तरूण बुनकर से 2,000 रूपये नगद प्राप्त करना एवं दिनांक 05.08.2025 को दौराने सत्यापन परिवादिया श्रीमती तन्वी कुंवर से 1600 रूपये नगद प्राप्त करना एवं अन्तिम रूप से 13,000 रूपये रिश्वत की स्पष्ट मांग कर 13,000 रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री बजरंग मीणा, सामाजिक न्याय अधिकारी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया गया है।अतः आरोपी श्री बजरंग लाल मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण लाल मीणा उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम माल्यावास पोस्ट सुरसिंहपुरा, फुलेरा जिला जयपुर हाल सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बडगांव जिला उदयपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है।(हरिश्चन्द्र सिंह)उप अधीक्षक पुलिसभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ............. कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश्चन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बजरंग लाल मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण लाल मीणा उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम माल्यावास पोस्ट सुरसिंहपुरा, फुलेरा जिला जयपुर हाल सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बडगांव जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर-इन्टे. को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 23 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1812-15 दिनांक 03.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर 3- उप महानिरीक्षक प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तोडगढ । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]2/2025 [illegible]2

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)